

**कार्यालय : सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया  
(मगध प्रमंडल कार्यालय परिसर, गया)**

ज्ञापक - 423

गया, दिनांक - 12.09.18

प्रेषित,

प्रो० नवीन शर्मा,  
मेसर्स नवीन मेडिकल टॉल,  
टेकारी रोड, पंचानपुर,  
टेकारी, गया


विषय— आपके प्रतिष्ठान में व्याप्त अनियमितताओं के आलोक में अनुज्ञप्तियों के निलंबन के संबंध में।

संदर्भ— औषधि निरीक्षक, टेकारी अनुमंडल, गया का पत्रांक 35, दिनांक 27.03.17 एवं इस कार्यालय का स्पष्टीकरण ज्ञापक 214, दिनांक 17.05.2017, एवं आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयक, दिनांक 27.03.17 को औषधि निरीक्षक, टेकारी अनुमंडल, गया के द्वारा आपके प्रतिष्ठान के निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितता के आलोक में इस कार्यालय का स्पष्टीकरण ज्ञापक 214, दिनांक 17.05.2017, के द्वारा आपको स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में आपके द्वारा स्पष्टीकरण एवं कतिपय अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित किया गया, जो सम्यक समीक्षापरांत निम्न बिंदु पर नुतिपूर्ण एवं असंतोषप्रद थाया गया :-

1. निरीक्षण रिपॉर्न की कॉडिका 2 में अंकित औषधियों का क्रय अभिलेख सावधान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. निरीक्षण रिपॉर्न की कॉडिका 11 में शेड्यूल एच-1 रजिस्टर सावधान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतएव, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 66(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति संख्या GR-33/2014 प्रपत्र 20 एवं GR-33A/2014 प्रपत्र 21 निर्गत तिथि 15.10.2014 को पत्र प्राप्ति की तिथि से 30(तीस) दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण किया जाना अथवा हे एवं निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान खुला पाये जाने अथवा क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण करते पाए जाने पर संस्थान की अनुज्ञप्तियों को रद्द करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निदेश दिया जाता है कि निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान में कार्यरत सुयोग्य व्यक्ति को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं सभी वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय में सदैव प्रस्तुत करें।

  
सहायक औषधि नियंत्रक  
औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया